भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2798

जिसका उत्तर 08.08.2024 को दिया जाना है

पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी

2798. डॉ. आलोक कुमार सुमन:
श्री बैजयंत पांडा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में सड़क और परिवहन क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो योजना परिव्यय, यदि कोई हो, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में शामिल प्रमुख विभागों और एजेंसियों का विशेषकर बिहार में ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्यावरण अनुकूल निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देने और सड़क निर्माण में संपोषणीय सामग्रियों के उपयोग के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास उन राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में आंकड़े हैं जिनमें हरित और संपोषणीय पद्धतियों को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सड़क निर्माण के लिए पर्यावरण अनुकूल हरित एवं टिकाऊ सामग्रियों तथा अत्याधुनिक निर्माण पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकी को अपनाना एक सतत प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों तथा स्वदेशी अनुसंधान के परिणामों के आधार पर भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा नए मानक/दिशानिर्देश तैयार किए जाते हैं तथा ऐसी सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए आईआरसी के मौजूदा मानकों/दिशानिर्देशों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/एनएचएआई ने भी ऐसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों/प्रक्रियाओं के उपयोग पर नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई/नवीन सामग्रियों/प्रक्रियाओं को परीक्षण खंडों में उपयोग के लिए आईआरसी द्वारा भी मान्यता दी जाती है। आईआरसी मानकों/दिशानिर्देशों, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स (एएएसएचटीओ), अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मैटेरियल्स (एएसटीएम), यूरो कोड, ब्रिटिश कोड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ-साथ आईआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी सामग्रियों और प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं सामान्यतः ईपीसी/एचएएम/बीओटी मोड पर क्रियान्वित की जाती हैं, जहां संविदाकार/रियायतग्राही लागू मैनुअल, मानकों/दिशानिर्देशों/कोडों आदि के अनुसार अपना स्वयं का डिजाइन

तैयार करते हैं और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में इसके वास्तविक उपयोग से पहले एई/आईई द्वारा इसकी समीक्षा/अनुमोदन किया जाता है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्यान्वयन मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे एनएचएआई, राज्य आरसीडी के साथ-साथ मंत्रालय की अपनी पीआईयू द्वारा किया जाता है और वे सुनिश्चित करते हैं कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

विभिन्न प्रकार की पर्यावरण अनुकूल हरित एवं टिकाऊ सामग्री जैसे फ्लाई ऐश, स्लैग, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, अपशिष्ट प्लास्टिक, क्रम्ब रबर संशोधित बिटुमेन, जूट एवं कॉयर सहित जियोसिंथेटिक्स, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आदि का उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उपलब्धता एवं उपयोग की व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

*****